## GOVERNMENT BILL

### The Bureau of Indian Standards Bill, 2015 - *Contd**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, we had already taken up the Bureau of Indian Standards Bill. The hon. Minister had moved the motion for consideration. Now, those who want to speak may speak. Shri E.M. Sudarsana Natchiappan; not there. Shri Tarun Vijay.

**श्री तरुण विजय** (उत्तराखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं वस्तुओं की और विचारों की। वस्तुओं के साथ, उत्पादन के साथ केवल यही बात नहीं जुड़ी होती कि वह किस फैक्टरी या कम्पनी का बना है, उसके साथ उस देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। वह कम्पनी और फैक्टरी जिस देश की होती है, उस देश की प्रतिष्ठा भी उस उत्पादन के साथ जुड़ी होती है। वे स्तरीय हैं, अपनी गुणवत्ता के मानक पर खरा उतर रहे हैं, इसके साथ उस उत्पादक देश और वहां के लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ती है। मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था जब भारत में यह कहा जाता था कि अगर एक सुई भी लेनी हो, तो वो "मेड इन जापान" की है, "मेड इन ब्रिटेन" की है और इन देशों के उत्पादन देश में बड़े प्रसिद्ध होते थे, उनके साथ गुणवत्ता की एक पहचान होती थी। हम लोग भूल जाते थे कि इस देश ने गुणवत्ता के सर्वश्रेष्ठ मानक स्थापित किए हैं। जो दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ। वैसे गुणवत्ता के मानक भारत में स्थापित हुए। आखिरकार इस देश के कारीगरों ने, इंजीनियरों ने, अभियंताओं ने, वास्तुकारों ने ताजमहल बनाया, जैसलमेर का किला बनाया, 1,200 स्तम्भों वाला रामेश्वरम का मंदिर बनाया, हम्पी का एक महानगर बसाया। ये सब प्रतीक विश्व में भारत की गुणवत्ता और भारतीय मानक की सर्वश्रेष्ठता के प्रतीक माने जाते हैं। आक्रमणकारियों के कारण यहां के कारीगरों पर, मिस्त्रियों पर, अभियंताओं पर, वास्तुकारों पर और यहां के नियोजकों पर जब हमले हुए तो वे एक ऐसा अंधकारमय युग परिणाम में छोड़ गए जिसके कारण भारतीय उत्पादनों की गुणवत्ता पर विदेशी, ब्रिटेन या अन्य देशों का ग्रहण लग गया। इस कारण से "मेड इन इंडिया" शब्द की जो साख और गुणवत्ता थी, वह कम होती गई और "मेड इन जापान", "मेड इन ब्रिटेन" की साख बढ़ती गई।

वर्ष 1986 में श्री राजीव गांधी के समय में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का अधिनियम पारित किया गया और अप्रैल, 1987 में बीआईएस की स्थापना हुई। इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे कारण ये थे कि हम चाहते थे कि सारी दुनिया में जो भारतीय उत्पादन हैं, उनके मानक, उनकी गुणवत्ता, उनकी श्रेष्ठता की एक प्रतिष्ठा बने। "मेड इन इंडिया" में लोगों का विश्वास हो, एक साख बने, उसकी credibility बने, इसीलिए जब यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पहले इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टियूट नाम से एक संस्था थी, जो केवल रजिस्टर्ड संस्था थी, जिसका प्रस्ताव संसद में पारित नहीं किया गया था। उसने 1947 से 1986 तक विभिन्न उत्पादनों के केवल 10 हजार लाइसेंस दिए। उस समय हम देखते थे कि एक आईएसआई का ठप्पा लगता था। यह आईएसआई देश की खुशहाली, देश

*Further discussion continued from 3rd March, 2016.

की आबादी की श्रेष्ठता का प्रतीक बनकर चली थी, यह वह आईएसआई नहीं थी, जो सीमापार से देश की बरबादी का संदेश लेकर आती है।

**[उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** *पीठासीन हुए*]

इस आईएसआई को और ताकत मिले, इसीलिए बीआईएस की स्थापना 1986 में की गई। इस बीआईएस के कारण अभी तक 38 हजार से ज्यादा उत्पादनों के मानक की श्रेष्ठता और उसकी गुणवत्ता को स्थापित किया गया है। वक्त ने करवट बदली है कि भारत के "मेक इन इंडिया" की साख दुनिया में बनने लगी और देश ने एक ऐसे प्रधान मंत्री को देखा, जिसने विश्व में "मेक इन इंडिया" को एक शेर के समान, एक सिंह नाद के समान, एक अभियान के रूप में स्थापित किया। अगर हमको "मेक इन इंडिया" और "मेड इन इंडिया" की गुणवत्ता और श्रेष्ठता में विश्वास पैदा करना है, साख पैदा करनी है, तो जरूरी होगा कि वे संस्थाएं मजबूत की जाएं, जो यह तय करें कि जिस माइक से मैं बोल रही हूं, जो घड़ी मैं पहन रहा हूं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं और इससे बढ़कर घर की बाहर की जो वस्तुएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें सीमेंट है, जिनमें ईंटें हैं, जिनमें साइबर सिक्योरिटी है, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वस्तुएं हैं, उनकी गुणवत्ता श्रेष्ठ है या नहीं है, इसका परीक्षण करने वाली संस्था को मजबूत बनाया जाना चाहिए। अक्सर यह बहस होती है कि Are Indians less quality conscious? क्या हम गुणवत्ता में विश्वास नहीं करते? 'जुगाड़' से काम चलता है, 'चलता है' से काम चलता है और जो भी चल जाए, लेकिन सस्ता हो, इसलिए वह भारत में ज्यादा प्रचलित हो जाता है। सर, 'जुगाड़' और 'चलता है' - यह भारतीय प्रतिष्ठा की बात नहीं हो सकती। दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में, उनसे मुकाबला करके जो Made in India के उत्पादन को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है, वह भारत की प्रतिष्ठा का एक प्रतीक बन सकता है। यह 'चलता है', 'जुगाड़' है, अब यह सब भारत के लिए संभव नहीं है। अगर भारत महान है, भारत में अच्छे इंजीनियर, अच्छे अभियंता, अच्छे वास्तुकार, अच्छे टेक्नोक्रेट, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो भारत में पैदा होने वाली वस्तुएं भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि भारत तो महान है, लेकिन Made in India का सामान थर्ड क्लास हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं चीन गया था, Sichuan विश्वविद्यालय में मेरे तीन भाषण हुए। उन भाषणों के बाद चीन के प्रोफेसर मेरे पास आए, वे बड़ी मुलामियत से तीखी बात करने में मशहूर होते हैं। उन्होंने कहा, "Mr. Vijay, I know you are from RSS. You have spoken what was expected of you that India will be great. India's progress is unstoppable. But is it not true that there is a Made in China today in every home in India whether it is furniture or cosmetics or mikes or bulbs or packing material or consumable items? You have a Made in China in every home today. So, where are you heading?" I paused for a second and said, "Yes Sir. It is true that today most of the Indian homes must be having something Made in China, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वह कितने दिन चलेगा, लेकिन चीन के हर घर में पिछले एक हजार साल से हिन्दुस्तान विद्यमान है, भारत विद्यमान है, जिसकी अनश्वरता के बारे

[श्री तरुण विजय]

में, जिसकी चिरंतनता के बारे में चीन भी आश्वस्त है और यह हजारों सालों तक चलेगा। वे मेरा मुंह देखतेरहगए।उन्होंनेकहाकिक्याबातकररहेहैं।मैंनेकहा,जिसघरमेंबुद्धहै,उसघरमेंभारतवर्ष है और उसके बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि कितने दिन चलेगा। चीन के सामान के बारे में हम कह सकते हैं कि कितने दिन चलेगा?

सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे वस्तु हो या विचार हो, उसकी महानता और उसकी अमरता के साथ उस देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। जापान सिर्फ इसलिए बड़ा और महान नहीं माना जाता क्योंकि उसकी economy बड़ी है। उसकी economy इसलिए बड़ी है क्योंकि Made in Japan सामान के बारे में गुणवत्ता है, उसकी मेहनत, उसकी श्रेष्ठता के बारे में दुनिया में एक विश्वसनीयता है। यह बात हम भारत में उत्पादित सामान के बारे में करना चाहते हैं। यह 'जय हिन्द' का मामला है। अगर 'जय हिन्द' हमारे दिल में है, मानस में है, रक्त में है, हमारे सपनों में है, 'जय हिन्द' के देश वाले सामान की गुणवत्ता सारी दुनिया में अगर मजबूत होती है, तो जहां-जहां Made in India सामान की विश्वसनीयता बढ़ती है, वहां-वहां 'जय हिन्द' जाता है। यह बात करने के लिए यह BIS का कानून आया है। इसके पीछे यह बात है। कुछ सामान, इलैक्ट्रिकल का सामान, सीमेंट का सामान या माइक और सैल आदि का मामला नहीं है, यह मामला है कि जो सामान हिन्दुस्तान में आ रहा है और बिक रहा है, उसकी विश्वसनीयता खरी है या नहीं है। यदि उसकी विश्वसनीयता खरी है, तो वह युग वापस ला सकते हैं, जब भारत के कारीगरों ने, अभियंताओं ने, वास्तुकारों ने, इंजीनियरों ने ताजमहल, जैसलमेर के किले और रामेश्वरम और हम्पी को बनाया था।

महोदय, इस BIS के साथ 14 हजार से ज्यादा सोने के व्यापारियों को हॉलमार्किंग के लाइसेंस दिए हैं, जो बहुत कम हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि यह ज्यादा है, लेकिन जहां पर लगभग दस लाख से अधिक सोने के व्यापारी व उनकी दुकानें हों, वहां पर केवल 14 हजार लाइसेंस दिया जाना, मैं समझता हूं कि कम है। इनकी संख्या और अधिक कैसे बढ़े? आप इलैक्ट्रिकल का सामान खरीदते हैं, स्विच लेते हैं, डर लगता है कि वह खराब न हो जाए, उसमें करेंट न आ जाए। आप वायर खरीदते हैं, तो डर लगता है कि उस केबल में कुछ गड़बड़ न हो। आप इस्तेमाल करते हैं। हमारे भाजपा के माननीय नेता के बेटे की शादी थी। उनका केबल पर पांव पड़ गया, उनको करंट लगा और उसी समय उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इसलिए केबल से डर लगता है, स्विच से डर लगता है, प्लग से डर लगता है। आप मोबाइल खरीदते हैं, पन्द्रह दिन बाद वह खराब हो जाए, तो डर लगता है कि उसमें जो हमारा पैसा गया है, उसको कैसे वापस लेंगे? आप सीमेंट से घर बनाते हैं और अगर सीमेंट खराब है, तो एक साल के बाद छत चूने लग जाती है। वह मानक कैसे स्थापित हो? भारतीयों की भारतीय उत्पादन में विश्वसनीयता कैसे बने, हम लोग खुद यह तय करने लगें कि Made in India सामान खरीदेंगे, तो वह उतना ही अच्छा होगा, जितना कदाचित हम पहले विदेश उत्पादन अच्छा मानते थे। उसके लिए Bureau of Indian Standards का विस्तार करना, इसे शक्ति देना और इसको दंडात्मक अधिकार देना आवश्यक था, ताकि अगर किसी ने BIS से लाइसेंस लिया है और वह उसकी conformity के

अनुसार उत्पादन नहीं कर रहा है तो BIS को अधिकार देना चाहिए कि वह उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सके। वह कार्यवाही कर सके, इसके लिए यह अधिनियम लाया जा रहा है।

महोदय, आज हमारी करीब 15 प्रकार की प्रोडक्ट categories हैं, जिनमें BIS ने 38,000 से ज्यादा licences दिए हैं। मैं सरकार और माननीय मंत्री जी को बधाई देने के साथ यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें BIS जैसे अधिनियम को लाने में 68 साल लग गए। आप जो लाए हैं, इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुज़ार हैं। प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता आपका शुक्रगुज़ार है, क्योंकि आप उसके लिए एक विश्वसनीय और मानक पर खरा उतरने वाला उत्पादन देने वाला एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। सर, यह बहुत आवश्यक है कि उत्पादनों की जो कैटेगरी है, उसको बढ़ाया जाए। मैं उदाहरण देता हूं कि चीन का जो Bureau of Standards है, उसमें 300 से अधिक केवल प्रोडक्ट्स की केटेगरी है। प्रोडक्ट्स नहीं हैं, केवल केटेगरी है। इसके कारण उसमें लाखों उत्पादन आते हैं जो उनके स्टैण्डर्ड के अंतर्गत, परीक्षण के अंतर्गत लाये जाते हैं। यह विस्तार यहां भारत में भी होना चाहिए। अभी तो क्या उत्पादन हैं, जैसे डीज़ल इंजन है, आयल प्रेशर स्टोव है, ऑटोमोबाइल में काम आने वाले टायर और ट्यूब हैं, घरों में काम आने वाले एलपीजी गैस के सिलिंडर हैं, रेग्युलेटरों के अनेक प्रकार हैं, मेडिकल X-ray के उपकरण हैं, 19 प्रकार के स्टील आदि हैं। अभी सरकार ने पिछले वर्ष ही यह निर्णय लिया है कि वे उस स्टील का यहां पर न उत्पादन करने और न ही आयात करने का लाइसेंस देंगे, जो BIS के मानक के स्टैण्डर्ड पर खरा नहीं उतरेगा। यह बहुत बड़ी बात है। यह जिम्मेदारी BIS को दी गई है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर के उत्पादन हैं, लैपटॉप हैं। सर, मैंने पूछा कि जैसे एप्पल है, लिनोवो है, इस प्रकार की जो विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के लैपटॉप हैं, They have to pass through the BIS tests. हमारे पास लगभग 560 से अधिक वैज्ञानिक हैं, 8 से अधिक लैबोरेट्रीज़ हैं। वे वैज्ञानिक उनका टेस्ट करते हैं कि हमारा जो भारतीय स्टैण्डर्ड है उसके अनुरूप ये लैपटॉप हैं या नहीं हैं। अगर नहीं होंगे तो उनको लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। ये जो परीक्षण हैं, ये नोटबुक हैं, टेबलेट हैं, टेलीविज़न हैं, माइक्रोवेव हैं, प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, सेट टॉप बॉक्सेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं, मोबाइल फ़ोन, LED लैंप, यहां तक कि जो स्मार्ट कार्ड रीडर हैं, वे भी Bureau of Indian Standards के मानकों पर खरे उतारे जाते हैं, उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए मैं BIS के सभी वैज्ञानिकों को यहां सदन से बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत की आन, बान और शान को रखने में बहुत मेहनत की है। उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे वास्तव में अभूतपूर्व हैं। लेकिन जैसे-जैसे भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता पर श्रेष्ठ रखना इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो गई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा की जो 560 के करीब वैज्ञानिक BIS में रखे गए हैं, भारत में जो उत्पादन हो रहे हैं और हम "मेक इन इंडिया" को जो अभियान लेकर चल रहे हैं, यह संख्या हमारी जनसंख्या के अनुसार, उसको देखते हुए बहुत कम है। यह 560 की संख्या, उनके अपने अधिकारियों के अनुसार कम से कम 2,000 होनी चाहिए। पूरे देश में इनकी लैबोरेट्रीज़ की संख्या और बढ़नी चाहिए। इस कारण भारत में जो राष्ट्रीयता का अभिमान है कि मैं जो भारत में उत्पादन कर रहा हूं, वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, वह अभिमान BIS बनाये रखने में कामयाब हो, इसके

[श्री तरुण विजय]

लिए जरूरी है कि उसको मज़बूत बनाया जाय। अभी तक इस कानून के पारित न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संगठनों में BIS को प्रतिनिधित्व करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि यह मान्य नहीं है। वह भारत की स्टैण्डर्ड संस्था के रूप में मान्य नहीं थी, क्योंकि संसद में उसका कानून पारित नहीं हुआ था। इसके साथ ही अगर कोई उत्पादक उसके स्टैण्डर्ड का पालन नहीं करता था तो BIS को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था। आप लाइसेंस दे रहे हैं, आप अपना परीक्षण कर रहे हैं, आपने कहा कि मानक के अनुसार आपको अपना उत्पादन करना है। उसने लाइसेंस ले लिया, लेकिन अगर उसके अनुसार वह पालन नहीं करता है, तो BIS को यह अधिकार नहीं था कि वह उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सके। अब इस कानून के द्वारा उसको यह अधिकार मिल जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई का भी अधिकार मिल जाएगा।

इससे बड़ी एक और बात हो रही है। अगर केन्द्र सरकार आदेश दे, वह एक निर्णय ले, तो cyber security, मानवीय सुरक्षा, पौधों और पशुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े सभी उत्पादनों के लिए यह अनिवार्य हो जाए कि उन्हें BIS के परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो cyber security का मामला है, वह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और strategically sensitive मामला है। जो विद्वान लोग हैं, जो इसके जानकार हैं, वे जानते हैं कि जैसे थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना है, उतना ही महत्वपूर्ण भारत की cyber security का क्षेत्र हो गया है। यह माना जाता है कि अगर कभी न कभी अगला विश्व युद्ध होगा, तो वह विश्व युद्ध साइबर युद्ध के रूप में भी हो सकता है। भारत का जितना data है, उसकी तो विदेशों में पार्किग हो रही है। एजेंसीज यहां से data collect कर रही हैं, वे सारा का सारा data अमेरिका या अन्य देशों में collect कर रही हैं। वहां उनकी पार्किग हो रही है। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि National Security से जुड़े मुद्दे भी और National Security से जुड़े जितने उत्पादन हैं, उनको भी BIS के परीक्षण और उनके मानक के स्तर के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इस कारण से cyber security का जो मामला है, वह भी BIS के अन्तर्गत आ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन BIS के पास अनेक अन्य मानक भी हैं, जिनका उतना उपयोग नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए, जैसे स्कूलों के मानक हैं, अस्पतालों के मानक हैं। आप उस मानक के अनुसार अपना विद्यालय बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो वहां जनता को और अधिक विश्वसनीयता होगी कि BIS, जो श्रेष्ठता और गुणवत्ता का मानक है, उसके अनुसार यह विद्यालय बना है, उसके अनुसार यह अस्पताल बना है और इस कारण से भारत के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि जो विद्यालय और अस्पताल हैं, वे भी BIS मानक के बने हुए हों और जो already स्थापित हैं, उनको भी इसके अन्तर्गत लाया जाए। अगर 68 वर्ष के बाद भारत के इतने उत्पादन BIS के अन्तर्गत आ रहे हैं, तो उसका विस्तारीकरण करना भारत की प्रतिष्ठा और उसके भविष्य के लिए आवश्यक है।

सर, इसमें एक सवाल यह उठाया गया कि क्या इससे जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे उत्पादक हैं, उन पर नकारात्मक असर पड़ेगा? नहीं, सर, इससे तो उनका और भला होगा! इसमें छोटे-बड़े का

सवाल नहीं है। आपने देखा होगा कि शहरों में या हमारे छोटे तालुकाओं में मॉल्स होते हैं, लेकिन कई फुटपाथ पर या रेहड़ी पर एक छोटा दुकानदार होता है। चाहे वह खाद्य पदार्थ बना रहा है, मसाला डोसा बना रहा है, कचौड़ी बना रहा है, पूरी-भाजी बना रहा है या वस्त्र बेच रहा है, वह एक ऐसा दुकानदार होता है, जिसके प्रति उस शहर की पूरी विश्वसनीयता होती है। लोग कहते हैं कि कचौड़ी खानी है, तो हजरतगंज में उस वाजपेयी की कचौड़ी खाएँगे। वह कौन है? एक छोटा सा दस बाई दस का उसका खोखा लगा होता है। यहां दिल्ली में जंतर-मंतर के पास एक तमिल भाई है, जो मसाला डोसा बेचता है। उसके पास लाइन लगी रहती है। वहां लाइन क्यों लगी रहती है? वह एक छोटा दुकानदार होगा, छोटी पूंजी से उसने काम किया होगा, लेकिन उसने श्रेष्ठता का मानक इतना बढ़िया बनाया कि कनॉट प्लेस के बड़े से बड़े दुकानदारों के यहां इतना डोसा नहीं बिकेगा, जितना जंतर-मंतर के पास एक छोटे डोसे वाले के यहां बिकेगा। इसलिए यह विश्वसनीयता का सवाल होता है। अगर आप BIS की विश्वसनीयता के आधार पर अपनी दुकानों पर उत्पादन बेच रहे हैं, ...**(समय की घंटी)**... तो उसके कारण जनता आपके पास अधिक आएगी, आपकी लोकप्रियता अधिक होगी और दुनिया में 'Make in India' और 'Made in India' का एक नाम होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां उत्पादन बढ़ना भारत की सांख है। 'जय हिन्द' का एक जलवा है, 'वंदे मातरम्' का एक जलवा है। मैंने एक कंपनी का विज्ञापन देखा है। दुनिया भर में उसने Indian MNC बना रखा है, जिसने यूरोप और अमेरिका में बड़ी-बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया है। उसका विज्ञापन 'वंदे मातरम्' से शुरू होता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। 'BIS' का यह कानून दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला होगा। अक़बर इलाहाबादी ने भी कहा है कि हम दुनियाभर की बातें छोड़ दें, अगर आप 'Make in India' को मजबूत बनाएंगे, तो इससे दुनिया भर में भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव पैदा होगा। अक़बर इलाहाबादी की दो पंक्तियां कह कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

तेरे लब पे है इराक़ो-शमो-मिस्रो-रोमों-चीं,

Made in Germany, Made in Japan, Made in Britain. भूल जाओ

लेकिन अपने ही वतन के नाम से वाकिफ़ नहीं।।

सबसे पहले मर्द बन हिन्दोस्तां के वास्ते।

हिन्द जाग उठे तो फिर सारे जहां के वास्ते।।

**श्री शान्ताराम नायक** (गोवा) : फिर वह 'Make in India' का टाइगर वाला लोगो आपने विदेश से क्यों बनवाकर मंगवाया है?

**श्री तरुण विजयः** 'स्वदेशो भुवनत्रयम्'। जहां मेरे हिन्दुस्तान का काम होता है, वहीं मेरा देश भी चला जाता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Very good. Thank you. Dr. Natchiappan.

**6.00 P.M.**

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, I support this Bill. It is very important for a globalised economy. We were, in fact, the founders of the International Standards Organisation. ISO was founded in 1946 in London. Immediately afterwards, India became one of the parties in that organization. In January, 1947, we started this organization here. In June, 1947, this organization started working. This was initially made, through a Cabinet resolution, a part of the Indian system of standards for industrial and other products which were being manufactured in India. Therefore, we have every right to claim that we had our own Indian system of standards. We passed this legislation in 1952. It was then followed in 1987, when a uniform legislation was required throughout the world as per the requirements of the World Trade Organization. The ISO covers standards pertaining to many aspects all over the world. They claim that 19000 standards had been created in various fields.

Sir, 162 countries are members of this organization. The fields in which they issue certifications are many. For example, ISO-14000 is in the field of environmental management, ISO-9000 is in the field of quality management, and so on. Now, the Indian law is being repealed, in a way, with the Bureau of Indian Standards Bill, 2015. It is a welcome step. But, as often, we have a few ambiguities here. In the Definitions, as per Clause 2(1) "article" means "any substance, artificial or natural, or partly artificial or partly natural, whether raw or partly or wholly processed or manufactured or handmade within India or imported into India". This is a very important part because the same systems that we are following in the case of goods manufactured or produced in India are also being applied to imported materials.

Now, 'Make in India' is one of the programmes that the Government of India has taken up. Many people want to have their manufacturing done here in this country. And we have got a legislation by which we are going to regulate them. The Indian Standards Institution, which is defined under the present Bill, means the Indian Standards Institution registered under the Societies Registration Act, 1860. The question is whether we are going to re-register the existing Bureau of Indian Standards, which is already created by the Bureau of Indian Standards Act, 1986 or we are going to comply with the same registered institution. That is the ambiguity in this Bill. I hope the hon. Minister will take note of it and clarify the issues.

Similarly, the Indian Standards have now been widened in many aspects. Section 10

provides for a certain level of Indian standards. Here, the overall institutional mechanism, which has now been created as a three-fold system. One is, it is regularly certifying many of the manufactured goods or the standards which are made according to the Indian Standards. Many of the food materials and other things are also included by expanding through the executive orders. When these are all made, we are allowing this institution to continue the effort which they were doing it from 1947 onwards to have a Standard Certificate, an ISI certificate being issued.

Another aspect is that we are giving is a Regulatory Authority. We are making this institution a regulatory authority which is given in the definition Clause 33 "regulations" means regulations made by the Bureau under this Act. That is also giving a wide power to this institution.

And, thirdly, very important one is, it is giving accreditation to the other institutions also which is defined in Chapter III, Section 10 (1) (c), "Recognise or accredit any institution in India or outside which is engaged in standardization." This is a wide power. We are giving it multiplicity and standardization institutes are going to come up. Also, we are giving them the power to give licence also. How are we going to regulate it? Are we having the infrastructure developed to that level? It is a modern system where you want to sit before a desktop even now. There is no time for sitting before the desktop but by using the i-pad or using the i-phone or the smartphones we want to have the communication with various organizations, especially, this type of regulating authorities and also licensing authorities. In such a case, how are we going to make it? Another classification which is given in Clause 9(1) (i) is, "Obtain membership in regional, international and foreign bodies having objects similar to that of the Bureau and participate in international standards setting process." That means we want to be a member of the allied group where India can stand itself and say that Indian standards are accepted throughout the world because we are following the international norms which were fixed by various membership in various organizations. And, also, we are telling that how reciprocally we are going to accept other standards which is mentioned in Clause 9 (1) (b), "Recognise, on reciprocal basis or otherwise, with the prior approval of the Central Government, the mark of any international body or institution, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon by the Bureau in relation to any goods, article, process, system or service at par with the Standard Mark for such goods, article, process, system or service." This is the widest aspect on which the International Organization for Standardization is working to claim that they are having 19000 standards throughout the world. Similarly,

[Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan]

we are saying that we are also going to be like that. Our standard has to catch up with that of other countries. We are going to reciprocally accept other standards. Are we going to come up with any conventional way of participation and making ourselves acceptable to the international standards? Are we going to have the bilateral treaties? Are we going to have other conventional resolutions? On that basis, we are going to bind ourselves that this is the standard of Indian way of production and manufacturing which is a newly defined area of operation as clearly given, 'any goods, articles, process, system or service at par with the Standards Mark for such goods and articles, process, system or service', because we are actually having a poor level of infrastructure and we have to note down. Many of the countries are now coming forward with Indian manufacturing system. They are investing huge amount of money and when I quote some companies which are waiting on the queue to get the standardization certificate. For example, if you take the industrial officials noted that several globally launched product of brands such as Lenova, Acer, Hewlett Packard and Samsung are unlikely to hit the Indian market soon due to a delay in procuring the Bureau of Indian Standards' certifications.

What is the number? More than 8,000 different types of certifications are needed for different materials. We are not equipped to that level. That means we are going to apply this enactment by recognizing certain private standard institutions. Are we having a regularized mechanism by which we are going to recognize them? Are we going to have the same Government control by which the Governing Body would be under the Chairmanship of the concerned Minister or the Minister of State as Vice-Chairman of that particular organization, the Bureau of Indian Standards? These are the things which have to be clearly marked. When you want to open up to international standards, then they will be questioning us for each and every activity. For example, Lenovo is one of the companies floated by Chinese. The Chinese products are dumped here like anything. When we applied the anti-dumping law, the Americans took the matter of solar products to the WTO Dispute Settlement Panel, and we have to appeal against that order. Therefore, we have to first make proper standards. The infrastructure has to be developed within our own organization. But we cannot invest so much of money for that. On all the electronic goods which I have quoted, they are going to add five per cent more. That means the manufacturing cost is going to increase by ₹ 1,000 crores. That means India is not a good market for them. They will just bring it through another doorway. We are having the ASEAN Agreement, we are having a free trade agreement with Thailand. Therefore,

they will bring in through that route, and our manufacturing sector will suffer. It will not come up. Therefore, we have to be very careful. From 1946 onwards, we are having the standards and we have developed in that way. The Bureau of Indian Standards is one of the primary institutions of the Government of India. At the same time, the system is very, very poor. The bureaucratic mannerism of disposing of the files, giving certifications, recognizing the trade marks, has slowed down everything. We can claim that we have already done so much by having so many legislations. But, at the same time, in practical terms, we may not be competitive with other countries. We may not be in a position to stop the inflow of below standard Chinese products and materials flooding the Indian market. For example, I can say that through e-commerce, Alibaba Company is now coming up with business of more than 50 billion dollars within a very short period. They have pumped in a lot of Chinese products and materials into the Indian market, and the Indian market could not compete with that because the cost of Chinese products is very, very low. Therefore, there is a lot of competition. When we are fixing up the standards, we should be very careful to see that the standards are followed properly. Whichever may be the country, whatever materials may be coming by way of import or through free trade agreement or through other routes, the proper standards should be followed. Otherwise, our ambition of 'Make in India' may remain a dream. It may not happen. We have realized in the past two-and-a-half-years how our manufacturing units have been closed and at the same time the materials which could not be sold in other countries, were brought to India through the import route or through other ways. That market is occupying the field. Many of the people in our country are having the purchasing power, but they are not utilizing that money for manufacturing purpose. The middle class is endowed with so much of money that they are ready to purchase any material, but that material is not manufactured in India, it is manufactured in other countries. If we impose the standards strictly as per this legislation, then only we will be competitive and our country will come up to that level. Thank you.

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)**: श्री नरेश अग्रवाल। आपके आठ मिनट हैं, लेकिन आप दस मिनट तक तो बोलेंगे ही। यदि आप इससे ज्यादा भी बोलना चाहें, तो बोल सकते हैं।

**श्री नरेश अग्रवाल** (उत्तर प्रदेश): सर, आप जितनी देर का आदेश कर देंगे, हम उतनी देर बोल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)**: मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि काफी समय बच गया है।

**श्री नरेश अग्रवालः** उपसभाध्यक्ष जी, आदरणीय तरुण विजय जी ने काफी कुछ कहा, नाच्चीयप्पन जी ने भी इसके बारे में कहा। हम इस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन पासवान जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमने इस सदन में बहुत से बिल आते देखे हैं, जिनका उद्देश्य तो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उद्देश्य कैसे सही रूप से लागू हों, यह हम नहीं देख पाए। श्रीमन्, अभी थोड़े दिन पहले जब पिछली सरकार थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जागरूकता पैदा हुई, लोकपाल बिल आ गया, राज्यों में लोकायुक्त बिल लागू हो गया, बहुत राज्यों ने लोकायुक्त बना भी दिए। चलिए, लोकपाल नहीं बना, हम तो लोकपाल के कभी भी पक्षधर नहीं रहे हैं। हमारा तो आज भी कहना है कि लोकपाल का मतलब है कि सेन्ट्रल के पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर देना। हम यह कैसे satisfy करेंगे कि लोकपाल ईमानदार है और प्रधान मंत्री बेईमान है? बिल आया, कुछ लोग उसके माध्यम से मुख्य मंत्री बन गए, लेकिन भ्रष्टाचार तो रुका नहीं।

आज महिला दिवस है, निर्भया कांड के बाद महिलाओं के पक्ष में बहुत सख्त कानून आया, लेकिन क्या अत्याचार रुक गया? नहीं रुका। आप इस बिल को लाए। यह पुराना बिल है, राजीव गांधी जी के जमाने में भी यह बिल आया था। चलिए, आपने बहुत दिनों के बाद इसमें अमेंडमेंट करने की सोची। आपने कहा कि गवर्निंग बॉडी बना देंगे, इसको पॉवर दे देंगे, पैनल्टी फाइन करने का अधिकार देंगे, होलोग्राम लगाने का अधिकार देंगे, लेकिन हमें इतना बताइए कि इसके पहले आईएसआई मार्क आया, जिसके बारे में तरुण विजय जी भी कह रहे थे कि एक जमाने में आईएसआई लगा जो सामान मिलता था, श्रीमान्, समझा जाता था कि यह स्टैंडर्ड का सामान है। बाद में तो सभी चीज़ों पर आईएसआई लग गया। ऐसा लगा कि डुप्लिकेट सामानों पर भी आईएसआई लग गया। आप वह मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे? आप गवर्निंग बॉडी बना रहे हैं, तो आप गवर्निंग बॉडी पर भ्रष्टाचार कैसे रोक पाएंगे? क्या गारंटी है कि जो लाइसेंस मांगेगा, उसको मानक पूरे होने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा? इसकी गारंटी कहां है? आखिर आप ऐसा कौन सा मानक फिक्स कर रहे हैं कि आप ये मानक complete कर लेंगे, तब ही आपको लाइसेंस मिलेगा? आप कुछ चीज़ों पर ही क्यों है? आज तो हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम food adulteration की है। Adulteration इस देश के लिए एक प्रकोप हो गया है। मैं कहूंगा कि adulteration ने इस देश के लोगों की फिजिकल स्थिति और मेडिकल स्थिति खराब कर दी है। तमाम Food Adulteration Act बने हुए हैं। आज देश में जो भी पैक्ड सामान मिल रहा है, आप उसको क्यों नहीं certify करते हैं? इसमें क्या दिक्कत है? जब आप BIS को अधिकार दे रहे हैं... आप कहते हैं कि जो सुनार हमसे लाइसेंस लेगा, वह होलोग्राम लगाएगा। सारे सुनार होलोग्राम क्यों नहीं लगाएंगे? सब लोग लाइसेंस क्यों नहीं लेंगे? आज कहा जाता है कि अगर सुनार के दुकान पर तीन बार सामान ले जाओ, तो वह सामान सुनार का हो जाता है, आपका नहीं रहता है। तीन बार खरीद-बेच लो, तो सामान सुनार का हो जाएगा, आपका नहीं रहेगा। हम सब जानते हैं, आप भी तो नीचे से यानी जमीन से ऊपर राजनीति में आए हैं। जब यह स्थिति है ... नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, जब मैगी का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तब पता चला कि मैगी में भी मिलावट है। इससे साभी लोग चकित रह गए, क्योंकि नेस्ले का नाम ऐसा था कि आदमी समझता था कि नेस्ले का प्रॉडक्ट है, तो अच्छा होगा। आज इतने पैक्ड फूड मिल रहे हैं, वेज, नॉन-वेज, सब पैक्ड मिल रहे हैं, तो उन पर होलोग्राम क्यों नहीं लग

रहा है? आज विश्व के किसी भी देश में मिलावट अलाउड नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान में तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मिलावट ही अलाउड है। आप यूरोप में चले जाइए, वहां खाने के सामान में मिलावट नहीं हो सकती है। वहां पर अगर सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, तो वह मिलावट माना जाता है। गल्फ कंट्रीज़ में है, लेकिन अपने देश में क्या है? आपके पास टैस्टिंग लैब नहीं है, आपके पास अधिकारी नहीं हैं, नीचे के अधिकारियों की जो स्थिति है... आप किसान का ही ले लीजिए। श्रीमन्, खाद में मिलावट से किसान बहुत परेशान है। आज 40 परसेंट किसान अपने खेतों में मिलावटी खाद डाल रहा है। वह उसमें जो दवाई मिलाता है, उस दवाई में भी मिलावट है, हालांकि उसमें होलोग्राम लगे हुए हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। आप उनको क्यों नहीं ले लेते? अगर आप किसान और एन्वॉयरमेंट, इन दोनों को बचाना चाहते हैं तो ऐसा क़ानून क्यों नहीं पास किया जाता है कि किसान को जो खाद मिलती है, वह बिना होलोग्राम के मार्केट में नहीं बिकेगी? आप अपने एफसीआई के प्रॉडक्ट्स को ही ले लीजिए, उन्हीं को होलोग्राम लगवाकर बिकवाना शुरू कर दीजिए। आपकी एफसीआई तो बहुत बड़ी है। आप क्यों नहीं एफसीआई को लाइसेंस दिलाकर उसके पास जो सामान है, उनको मार्केट में सैल कराना शुरू कर देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि सही सामान मिल रहा है? श्रीमन्, मैं बिल का तो समर्थन कर रहा हूं, लेकिन जो स्थिति है, उसको भी महत्व दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि इसको और सख्त बनाया जाए और इसमें और श्रेणियों को लिया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसीलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और अपनी बात कह रहा हूं।

श्रीमन्, आजकल रोज सवेरे अखबार उठा लीजिए, पासवान जी, आप पढ़ लें, उनमें तमाम तरह की दवाइयों की ऐड्स छपी होती हैं कि इनका इस्तेमाल कर लें तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। कोई हड्डी ठीक कर रहा है, कोई जवानी ला रहा है। कभी जापानी कैप्सूल तो कभी अमेरिकन कैप्सूल। श्रीमन्, ऐसा लग रहा है जैसे अखबारों में लेख लिखा जा रहा हो कि आप यह खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, यह खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उसे पढ़-पढ़कर आदमी यह समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या खाएं क्या न खाएं या किस चीज़ से वजन घट जाएगा। आप हमारे यहां इलाज कराइए, आपका वजन गारंटीड घटेगा या बढ़ेगा। इस कंट्री के साथ इस तरीके से जो मजाक हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। उस पर कौन रोक लगाएगा? आखिर, उस पर कोई तो रोक लगाएगा, कोई न कोई मानक तो बनेगा या कोई ऐक्ट बनेगा! मेरा तो यह कहना है कि बहुत ज्यादा क़ानून अच्छे नहीं होते हैं। कम क़ानून प्रभावी होते हैं, बहुत से क़ानून प्रभावी नहीं होते हैं। हमारे यहां इतने क़ानून हो गए हैं कि मैं देखता हूं कि रोज कोई न कोई अमेंडमेंट हो रहा है। आप कोई प्रभावी क़ानून बनाकर लाइए, यह पूरा सदन सहमत है। उससे हम भी सहमत हैं, इधर के लोग भी सहमत हैं और मेरा ख्याल है कि सभी लोग सहमत होंगे। जितने लोग बोलेंगे, वे सभी आपके बिल से सहमत होंगे। जब आपको इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप भी हिम्मत कर लीजिए और कोई ऐसा ऐक्ट बना दीजिए, जिसके तहत हिन्दुस्तान में बनने वाली चीज़ों से डुप्लीकेसी खत्म हो जाए। चाइना पूरा कॉलैप्स कर गया। उसने तीन तरीके की क्वॉलिटी बनाई - नम्बर एक, नम्बर दो और नम्बर तीन। पूरे वर्ल्ड के मार्केट पर चाइना छा गया, लेकिन आज चाइना की स्थिति क्या हो गई है? अब तो चाइना में बने सामान पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। लोग जानते हैं कि सामान लेंगे, तो वह कितने दिन

[श्री नरेश अग्रवाल]

चलेगा। वह नहीं चलेगा। वर्ल्ड का कोई भी मार्क हो, वह चाइना में बना हुआ आप ले लीजिए, वह थोड़े दिनों में ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड की मार्केट चल रही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की मार्केट में कम्पीट करने के लिए आपको कहीं न कहीं अच्छे स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे और कंपनियों को कम्पेल करना पड़ेगा। आपने यह प्रावधान तो कर दिया कि वे पेनेल्टी के रूप में पांच लाख रुपये भरेंगे और उसकी अपील कौन सुनेगा, इसका प्रावधान भी आपने कर दिया, लेकिन उस पर और चेक कैसे लगाया जाए, उस पर और कैसे रोक लगाई जाए, कैसे भय पैदा किया जाए और जनता का विश्वास कैसे जीता जाए, यह भी आपको देखना पड़ेगा। जब तक हम विश्वास को नहीं जीतेंगे, तब तक आप लाख हॉलमार्क लगाइए, लाख बिल दीजिए, लाख ब्रांडेड चीज़ कहिए, लेकिन सर्टिफिकेशन सही नहीं माना जाएगा। सर्टिफिकेशन तब सही माना जाएगा, जब आप जनता का विश्वास जीतेंगे। जैसा अभी तरुण विजय जी ने कहा, बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनका ब्रांड बहुत बिकता है। आप हमारे लखनऊ में चले जाइए, वहां ऐसे तमाम दुकानदार हैं। आप चांदनी चौक चले जाइए, वहां बाहर से लोग आते हैं और कहते हैं कि उसके यहां से फलां चीज़ ले लो, बहुत अच्छी मिलेगी, जबकि उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। उन्होंने आपके यहां से सर्टिफाई नहीं कराया है, लेकिन उनकी एक मार्केट वैल्यू है, उनमें जनता का एक विश्वास है कि अगर उनके यहां से ले लोगे, तो सामान सही मिलेगा। यह विश्वास जीतना ही सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए, बिल तो पास हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर आप और विचार कीजिए। अगर आप जनता का विश्वास जीतने पर आएंगे और जनता का विश्वास जीत लेंगे तो शायद हमने "मेक इन इंडिया" और " मेड इन इंडिया" का जो नारा दिया है, वह सही रूप से लागू हो पाएगा। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

DR. R. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. First of all, I extend my gratitude to my Party Leader Puratchi Thalaivi Amma for permitting me to take part in the discussion on this important Bill. Sir, the Bureau of Indian Standards Bill, 2015 is brought in order to replace the existing Bureau of Indian Standards Act, 1986. Everyone needs standard products for the amount they pay. What is the standard for each product? Who will prescribe this standard? The answer to this question is, Bureau of Indian Standards (BIS). So far, 19,300 standards have been formulated for about 9,500 products and services by BIS. Sir, each and every day market is flooded with new products. So, there is an urgent need to step up the process of formulation of standards for the products and services.

This Bill also seeks to establish Bureau of Indian Standards (BIS) as National Standards Body of India. Sir, nowadays online purchase of goods, articles, materials has increased manifold. What is the Government's stand on these products and services? Will it be mandatory for the online stores to comply with Section 13? Sir, Government has the responsibility to protect the interest of consumers. Ours is a welfare State. We have to

ensure that standard products at an affordable price reach the consumers. Here, I would like to highlight the steps taken by our hon. Leader Amma to give standard products at an affordable cost to the people of Tamil Nadu. It all started with Amma Kudineer sold at ₹ 10 per litre. 'Amma Cement' is sold at a very affordable rate of ₹ 190 per bag, which contains 50 kilo cement. Sir, the list does not contain only these two items. There is Amma Unavagam, Amma Medical Shop, Amma Salt and Amma Vegetable Market. All these were done with the sole aim of providing standard products to all the people at affordable prices. This is our commitment and determination.

Next, I come to the provision of compulsory Hallmarking of precious metals, *i.e.* gold. When gold ornaments are made, sellers charge around ten per cent to 18 per cent as wastage. This practice has to be rationalised. There is an urgent need to bring uniform procedures in this regard so that fair practice is followed in gold trade. Hence, I request the Government to further strengthen the provisions of Section 14 of the present Bill.

Sir, our market is flooded with Chinese products. To ensure that only standard products enter the Indian market, adequate mobile testing laboratories should be established. So, sub-section (4) of Section 13 should include provisions for mobile-testing laboratories. Because of availability of sub-standard products in the market, there is always danger to the life of consumers. They are exposed to continuous threat. We have to curtail this trend. Imitating is very rampant in our country. Government should devise a stringent mechanism so that BIS Hallmark symbol is not imitated by anti-social elements. To ensure 'ease of doing business', consumer satisfaction is also a necessary condition. So, I urge upon the Government to ensure strict implementation of these provisions so that and interests of consumers are protected because we are now living in a consumer-driven economy. I once again extend my support to the Bill. I also welcome the Bill. Thank you, Sir.

**श्री मुनक़ाद अली** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस मुद्दे पर अपनी बात कहने का मौका दिया है। यह विधेयक चूंकि पहले ही लोक सभा द्वारा पारित हो चुका है, फिर भी, ऐसी बहुत सारी जरूरी बाते हैं, जिन पर खुले मन से चर्चा होनी बहुत जरूरी है। मैं इस विधेयक को इसलिए भी बहुत खास मानता हूं, क्योंकि इसके जरिए देश में बहुत सारी खाद्य सामग्री, वस्तुएं, माल, आभूषण आदि की क्वालिटी को प्रमाणित करने का नज़रिया तय होगा। इन तमाम चीज़ों को प्रमाणित करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे मानक चिह्न और हॉलोग्राम आदि का प्रयोग हमारी सरकार की तरफ से किया जाता है। आज हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी के साथ-साथ बहुत सारी नकली

[श्री मुनक़ाद अली]

कंपनियां, दुकानें और विक्रय केन्द्र खुल गए हैं, जहां पर नकली चीजों को असली चिह्न लगाकर बेचा जाता है और लाखों शरीफ और खासकर के गरीब लोगों को ठगा जाता है।

मैं पिछले तीन वर्षों का हवाला देकर यह समझाना चाहता हूं कि आखिर हमारे देश में बिना वैध लाइसेंस के मानक चिह्नों का गलत इस्तेमाल करते हुए कितने मामले दर्ज हुए हैं। साल 2011 से 2013 के बीच ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें यह बात साबित हुई है कि भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक सही मानक चिह्नों का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर मैं सोने के जेवरात बेचने वाले लाइसेंस धारकों के सिलसिले में बात करूं, तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फरवरी से मार्च 2015 में हॉलमार्क युक्त आभूषणों, जो भारत में बेचे जाने वाले कुल आभूषणों का एक छोटा सा भाग है, उनके नमूने लिए गए। 193 नमूनों के परिणाम दर्शाते हैं कि 145 नमूने शुद्धता परीक्षण में सफल पाए गए, जबकि 48 नमूनों में चिह्न अंकित शुद्धता में औसतन 0.2 प्रतिशत की कमी देखी गई।

महोदय, 2016 में 16 शहरों में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि गैर-हॉलमार्क आभूषणों के 90 प्रतिशत नमूने घोषित शुद्धता में औसतन 13.5 फीसदी की कमी को दर्शाते हुए फेल हो गए।

इसी तरह देश में और बहुत सारी खाने-पीने, पहनने की वस्तुएं हैं, जो खुल्लमखुल्ला बिना किसी मानक और हॉलोग्राम के बिक रही हैं और देश के करोड़ों लोग उनसे बिना गुणवत्ता की वस्तुएं खरीदकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह उम्मीद करूंगा कि भारत जैसे विशाल देश में भारतीय मानक ब्यूरो नामक संस्था को जितना मुमकिन हो सके मजबूत बनाया जाए और जो भी लोग हमारे देश में बिना मानक चिह्नों के वस्तुओं की बिक्री करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने पर विचार करें, ताकि देश के बाजारों में लोगों का विश्वास बढ़े और सही चीज देश के लोगों तक पहुंच सके।

मान्यवर, मैं अपने देश की सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूं। भारतीय मानक गुणवत्ता की सच्चाई की तुलना हिन्दुस्तान की मिट्टी से करना चाहता हूं। वह ईंट जो भारत के हस्तशिल्प की प्रतीक है अगर किसी महल के कंगूरे में लगा दी जाती है, तो हजारों सालों तक भारतीय गुणवत्ता की प्रतीक बन जाती है। इसी प्रकार हस्तशिल्प से बनने वाला कपड़ा भारत की गुणवत्ता का इतिहास बनकर दुनिया के कोने-कोने में बिक रहा है। यह हमारे देश की गुणवत्ता है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसे सख्त से सख्त बनाया जाए, ताकि देश की जनता को इससे फायदा हो। महोदय, हमारी पार्टी तथा हम इसका समर्थन करते हैं, शुक्रिया।

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I thank you. I would like to join the other Members in saying that we must have quality products, 'Make in India' should be made successful, the limb of lion symbol should walk and hunt the opponents. But I would like to bring to your notice about my fear. In the last four years, 393 raids have

been made. I don't know what punishment they have been awarded. I would like to bring before the august House that the BI Standard mark be made on products whether they are manufactured in this country or imported. So, that standard must be there, whether you manufacture here or import. The Confederation of Indian industry has given a circular. Despite the introduction of hallmark standard fifteen years ago, 30 per cent of the jewellery in India is hallmarked with unorganised sector, being the main culprit, according to the latest study of the World Gold Council. The World Gold Council says that the culprit is our unorganised sector. Only 30 per cent jewellery in India is hallmarked. So I would like to request the Minister, 70 per cent people who work in the gold jewellery, if you strictly implement it, will become unemployed. They will be completely finished. You must take this into account.

Now, the *agarbattis,* we are not manufacturing. You can see in TV advertisements that ITC is producing *agarbatti.* Today, the *agarbatti* is imported from Vietnam and Cambodia. Traditionally, we manufactured it, either in Mysore or in Tamil Nadu. We manufactured it. Now, ITC is the brand. Those sections will become completely unemployed. The anklets, which the ladies wear and the silver rings in the foot, are imported today. That is completely out of our manufacturing business. So it is not made in India. We are importing the things and selling here. A lot of thing has been told about China, Vietnam, Cambodia and your free trade agreement. Please see, whether it gives employment to us whether it protects our small-scale manufacturers or it completely vanishes them. The quality is very important; I agree with all those things. But what have, we done for the past 50-60 years to develop these small-scale industries into a quality industry? Even the Bindi that ladies wear also comes from China. During Holi, the powder and guns are imported from China. This gives employment to the Indian people. They must make quality things. That is important. You must help them. You must give them money. You must give them machinery. You must provide them market. Otherwise, the Bill will be appreciated by 30 or 40 per cent of the Indian population whose purchasing capacity has grown. But, still, 40-50 per cent depend on these types of handmade works. I request the Minister, please keep all those things in mind. Try to help them. Don't destroy our small-scale industry and home-made industry. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Shri Bupinder Singh. You have four minutes. You can take five minutes only.

**श्री भुपिंदर सिंह** (ओडिशा)ः दो-तीन मिनट ज्यादा हो जाएगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)**: यह तो रिकार्ड हो जाएगा।

**श्री भुपिंदर सिंह**: उपसभाध्यक्ष जी मैं अपनी पार्टी की तरफ से "दि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिल, 2015" के संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक ऐसा बिल है कि हिंदुस्तान की आबादी, जो पहाड़ों पर रहती है, जिसने कभी स्कूल, कॉलेज में जाकर नहीं देखा है, उसे साथ लेकर जो 126 करोड़ की आबादी है, इस बिल का उन सभी के साथ संबंध है। हमें इसकी गहराई तक जाना चाहिए। उपसभाध्यक्ष जी, वैसे तो हॉलमार्क स्टैंडर्ड पंद्रह साल पहले इंट्रोड्यूज़ हो गया था, उसके बावजूद भी वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल में कहा जा रहा है कि इंडिया में जो गोल्ड है, वह 30 परसेंट हॉलमार्क है और जो बाकी 70 परसेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सर, यहां पर यह सवाल नहीं है कि डुप्लीकेट चीजें कैसे बनती हैं, सवाल यह है कि जहां भी पैक्ड सामान आता है, उस पर जो क्वालिटी लिखी होती है, उस क्वालिटी में भी कमी देखी गई है। सर, हम पैक्ड सामान लेकर आते हैं, उस पर 500 ग्राम लिखा हुआ है - मैं अपने देश और अपने लोगों को सेल्यूट करता हूं कि उनको जैसा भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, ले लेते हैं, सवाल नहीं करते हैं। इसको बनाने के वक्त जब बात हो रही थी, तब हमने मंत्री जी से यह सवाल किया था कि अगर कुछ गरीबी हमारे साथ है, तो वह इस वजह से है कि हमारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। एक्ट तो बन जाएगा, लेकिन उसको implement कौन करता है और कहाँ पर एक्शन होता है, आज यह सवाल है। आज हम लोग यहां बैठ कर एक और नया बिल ला रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है, वह है 'जागो ग्राहक जागो'। ग्राहक को जगाना है और अच्छी तरह से जगाना है। इसके लिए मैंने कहा था कि केवल टीवी पर नहीं, बल्कि इसके ऊपर बार-बार डिबेट होनी चाहिए। आज जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, वह यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो हर रोज कुछ न कुछ poison न ले रहा हो। राष्ट्रपति भवन, प्रधान मंत्री जी से लेकर नीचे तक ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आज हम जो खाद्य ले रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा poison नहीं ले रहे हैं। हमसे यह अपेक्षा थी कि इस बिल के आने के बाद इसमें सुधार होगा।

सर, इसमें upgradation of laboratories की आवश्यकता है। हमारे पास infrastructure नहीं है। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं और मैंने पहले भी कहा है कि जहां से सामान manufacture होकर निकलता है, आप देखिए कि इसकी क्वालिटी की जांच वहीं पर हो जाए कि इसकी क्वालिटी क्या है। जब वह सारे देश में होलसेल से लेकर सब-डीलर तक, डिस्ट्रिब्यूटर से लेकर सब-डीलर तक बंटता है, तब उसमें कितनी नकली चीज़ें आती हैं, उसमें ISI मार्क के कैसे प्रोडक्ट निकलते हैं, उसमें जो ब्रांड है, उसके भी नकली सामान कैसे बन जाते हैं, उसको चेक करने के लिए हमारे पास infrastruture नहीं है। इसलिए इसको उसी प्वाइंट पर, starting point पर ही चेक करने की कुछ पद्धतियाँ हमारे लिए आवश्यक हैं। आज हमारा जो standard है, इस बिल के द्वारा आप उसको absolute कर देंगे। आपने इसके ऊपर सभी मंत्रियों के साथ चर्चा जरूर की होगी। हम तो चाहते थे कि इस बिल को जल्दी पास कराया जाए, क्योंकि इसमें किसी की दो राय नहीं थी, लेकिन जब यह बिल पास होकर जाएगा, तो इसको implement करने के लिए राज्यों के पास क्या स्थिति है, ...**(समय की घंटी)**... राज्य इसके

लिए सम्पूर्ण रूप से सक्षम हैं या नहीं, साथ में इसको भी देखने की आवश्यकता है। ...**(समय की घंटी)**...

सर, मैं दो-तीन मिनट और लूंगा, प्लीज़। प्रधान मंत्री जी ने 'Zero Defect and Zero Effect' का slogan दिया है। क्या यह Indian product के लिए भी applicable है? जो चीज़ हमारे यहां चीन से या बाहर से बन कर आती है, उसके लिए 'defect' की बात को हम कहां तक देखते हैं?

सर, जहां तक किसानों का सवाल है, आप जानते हैं, मैं पूरी तरह से उस धरती, उस मिट्टी और उस किसान के साथ जुड़ा रहा हूं। आप देखेंगे कि खेतों में pest attack होता है, लेकिन खेतों में pest attack की जितनी भी दवाइयां डाली जाती हैं, उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Human life के लिए जो दवाइयां आती हैं, उनमें नकली दवाइयां तो आती ही हैं, लेकिन जितने seeds और जितने फर्टिलाइज़र्स आ रहे हैं, वे भी नकली आ रहे हैं। ...**(समय की घंटी)**... सर, यहां आपने अभी Leader of the House को सुना है। उनकी अपनी स्टेटमेंट थी कि आज SAIL और टाटा का जो स्टील है, उस पर भी कितने question mark लग चुके हैं। यह बात स्वयं आपने, इस हाउस ने और सारे देश ने सुनी है। इन सबके लिए मंत्री जी के ऊपर एक बहुत बड़ी responsibility है। सर, इनका अनुभव बहुत है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)**: आपका अनुभव भी बहुत है।

**श्री भूपिंदर सिंह**: इनके पास केवल राजनीतिक अनुभव ही नहीं है, वे जमीन से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे इन सब चीज़ों को देखेंगे।

सर, infrastructure के मामले में स्टेट्स को support करने की आवश्यकता है। आपने 2016 में चार-पांच लेबोरेटरीज़ बनाने की बात कही है, upgradation of laboratories के साथ manpower को भी बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए स्टेट्स को थोड़ा support करने की आवश्यकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Thank you very much. .... *(Interruptions)* ....

**श्री भूपिंदर सिंह**: सर, मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। आज Consumer Forum की बात हो रही है। 6-6 या 10-10 साल तक भी case dispose off नहीं होता है, इसीलिए हमने यह राय दी थी कि आप इसके लिए ऐसा नियम बनाइए कि जहां पर manufacturer है, जहां से चीज़ बनी है, वहां पर उसका केस *sub judice* नहीं होगा। अगर आप मुम्बई से आकर राजस्थान में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर राजस्थान के कोर्ट में केस होगा और वहीं पर Consumer Forum उस पर decision लेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Thank you.

**श्री भूपिंदर सिंह**: सर, एक बात और है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका केस High Court और Supreme Court के लिए upgrade न हो। चाहे कोई भी केस हो, District Level पर तीन महीने के अन्दर, State Level पर छः महीने के अन्दर और National Level पर एक साल के अन्दर Consumer को, ग्राहक को इसका फल मिलना चाहिए, result मिलना चाहिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)**: यह एक अच्छा सुझाव है।

**श्री भूपिंदर सिंह**: यह ग्राहक के हित में होना चाहिए, not for manufacturers. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Dr. K. Keshava Rao, not present. Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bureau of Indian Standards Bill, 2015. I believe that after passing of the Bill, this will amount to a step to support the 'Make in India'. After going through the Statement of Objects and Reasons and other contents of the Bill, I would like to seek two clarifications from the hon. Minister. More teeth are being provided, through this Bill, to the Bureau of Indian Standards. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): I request for silence in the House, please.

SHRI ANIL DESAI: With the establishment of the BIS as the National Standards Body of India, it will have a very meaningful, defined standards which will make our products much competitive and saleable, not only domestically, but internationally too. At the same time, empowering the Central Government to authorize any other agency having necessary accreditation, which will have multiple agencies, which will also be doing the certification job for the products, how it would go because there may be scope for corrupt practices, duplication, etc., as many products are available, as of today, in the market which bear BIS and ISI marks, etc. That also gives way to the adulteration of the food products, maybe, milk. Or, even we have seen what has happened in the case of Nestle products. So, there has to be some regulations regarding testing of the products; there should be good laboratories; good personnel and research laboratories. What kind of provision is made for all this? It would be better if the hon. Minister clarifies on this count.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.)*

Now, I come to the pricing factor. Once BIS is done, it should not be that the prices go beyond the capacity or affordability of the consumer. That has to be kept in mind. There are other agencies which would definitely take control. Of course, you would be taking steps to see to it that prices are regulated. But, considering this Bill, how would it go?

My next point is with regard to imported goods. We are, as a country, a party to the WTO. A lot many goods, as of today, are imported; they are assembled; and they are re-labelled. In case, agencies are doing business like this, will the certificates given by those countries be applicable? Or, will the BIS have to certify them again on those standards? If substandard goods are coming from other countries, how would the BIS deal with them? How would they certify such products?

Then, penalty provisions have been made in this Bill. This is a good thing to prevent the misuse of standard mark.

In the field of jewellery, the hallmarking, etc., is limited to a very small section of the society, whereas, majority of the people are not aware of this. Will that affect the pricing of the products? How would it go? It would be better if the Minister explains this. Since 1986, a lot many changes were to be done, which have been taken up in this Bill.

Now, I come to the household products or fast-moving consumer items. These are the things where a lot of agencies, a lot of manufacturing houses are coming out with different products. They will also be going for BIS standards. How would the consumer take it? Will this affect the production houses where small and medium-scale people are engaged in manufacturing activities? Will the things be so easy for them also? There was an example given by our colleague about the manufacturing of *agarbattis.* That is an item of the cottage industry. Our household people manufacture these kinds of things. But if branded and big industrial houses like ITC also come into the market and sweep the market, then, will it not be injustice? How would you protect that factor in this Bill?

Another point is about the major industries; like steel industry is there; cement industry is there, IT industry is there and electronic industry is there. Apart from this, for cottage industry, textile industry and even for Defence equipment, now, we have made our policies very open. So, with respect to things where security of the country also comes into question, how would you regulate those through this Bill, the Bureau of Indian Standards Bill, 2015? Though, *prima facie,* it looks very good, will it help our country and our economy to grow the way it has been sought by bringing forward this Bill? Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, on behalf of our Party, Shri Vivek Gupta will speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That is the name you gave me. Sorry, I thought it was yours.

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, through you, I, very quickly, want to make a few points. सर, रामविलास जी हमारे बहुत प्रिय नेता हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं। इस बिल में कुछ खामियां हैं। डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान सिर्फ उन खामियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

सर, इसमें seller की डेफिनिशन है, लेकिन आजकल ई-कॉमर्स में यह हो रहा है कि यहां माल कोई बना रहा है और कोई अन्य बेच रहा है। उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि Amazon और बहुत सारी कम्पनीज़ ऐसी हैं, जो अपने आपको seller बता कर अपने नाम से माल बेच रही हैं, जबकि वे माल नहीं बनाती हैं और जब कोई कम्प्लेंट आती है, तो वे सबसे पहले पीछे हट जाती हैं और बोलती हैं कि माल हमने नहीं बनाया। तो सर, उनके बारे में अगर कुछ किया जा सकता है, तो कीजिए।

सर, इस बिल में एक बड़ी खामी यह है कि जो भक्षक है, उसी को रक्षक का काम दिया गया है। जो डायरेक्टर जनरल है, उसी को लाइसेंस देने की पावर दी गई है। अगर वह लाइसेंस नहीं देता है, तो उस एप्लिकेशन को रिव्यू करने की पावर भी वापस डायरेक्टर जनरल को दे दी गई है। तो जो आदमी लाइसेंस देने से मना कर रहा है, वही आदमी कैसे रिव्यू को ठीक कर सकता है, यह बात समझ में नहीं आई। इसलिए यह conflict है, इसको थोड़ा देखा जाना चाहिए।

सर, 'zero defect-zero effect', 'maximum' ये सब बातें कही गयी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं किं इंडिया में जो भी सामान बिके, वह कम से कम ISI mark के बराबर हो। अगर वह ISI mark से certified नहीं भी हो, तो कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि यह optional नहीं होना चाहिए, compulsory होना चाहिए।

सर, हमारे यहां से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होता है। इस पर भी आपका कुछ अंकुश आना चाहिए। वह जरूर हो, ताकि इंडिया की साख अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खराब न हो।

सर, एक और काम करने से आपका लोगों पर एक बहुत बड़ा उपकार होगा। रेज़र से लेकर टैक्सी, सब चीज़ों पर कोई न कोई स्टैंडर्ड कोई न कोई डिपार्टमेंट या मंत्रालय बनाता रहता है। अगर आप सबको इकट्ठा करके एक वेबसाइट पर जानकारी दे दें कि इस चीज़ का यह स्टैंडर्ड है और उस चीज का यह स्टैंडर्ड है, तो लोगों को बहुत आसानी रहेगी। इसके उदाहरण के रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि टेलिकॉम अथॉरिटी है। आजकल हम सब कॉल ड्रॉप की समस्या फेस करते हैं कि मोबाइल पर बात करते-करते कॉल ड्रॉप हो जाती है। इसका स्टैंडर्ड कौन तय कर रहा है, हमें नहीं मालूम है। ट्राई का स्टैंडर्ड कुछ है और TDSAT कुछ और standard बोलता है। अगर आप इसका कुछ निवारण कर सकें, तो हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा होगी।

सर, हाल ही में जो मैगी प्रकरण हुआ और इससे हम लोगों को जो सीख सीखने को मिली, वह सीख मुझे इस बिल में कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं सिर्फ आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं।

सर, एक बड़ी चिन्ताजनक चीज़ आई है, जो मैं जल्दी से जल्दी चेयरमैन साहब के माध्यम से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जो नये स्टैंडर्ड्स आयेंगे, तो लोगों ने जो पुराने सामान खरीद कर रखे हैं, उनका क्या होगा? खासकर किसी ने अगर 1960 या 1970 में सोना खरीद लिया था और अगर आप नये स्टैंडर्ड बना देंगे, तो 1970 का सोना क्या पीतल हो जायेगा?

सर, स्मार्ट सिटी का स्टैंडर्ड है, इस चीज़ का स्टैंडर्ड है और उस चीज़ का स्टैंडर्ड है, तो अंत में मैं यही कहूंगा कि जो ISI mark है, वह भारतीयता का स्टैंडर्ड है। इसको आप और सशक्त बनायें और इसको compulsory बनायें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Thank you. Mr. Navaneethakrishnan, you want to seek a clarification. I will allow you after the Minister's reply. If your point is not covered in the reply, then, you can seek your clarification.

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI RAMVILAS PASWAN): My suggestion is, let him speak. .... *(Interruptions)* .... बाद में मात्र क्लेरिफिकेशन होगा तो फिर एक घंटा चलेगा। इसलिए जो भी बोलना है, एक बार बोल दें। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No speech. He can only ask a clarification.

SHRI RAMVILAS PASWAN: Let him say.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You want him to do that. Okay. All right. Mr. Navaneethakrishnan, now you speak. .... *(Interruptions)* .... No speech. Only ask the clarifications.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Thank you Mr. Deputy Chairman for giving me this opportunity.

I would like to draw the kind attention of the hon. Minister to clause 33 (1). It says, "Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence committed for the first time, punishable under this Act, not being an offence punishable with imprisonment only, or with imprisonment and also with fine, may, either before or after the institution of any prosecution, be compounded by an officer so authorized by the Director General, in such manner as may be prescribed ..."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your objection?

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: My objection is, subject to correction by the hon. Minister, there is no punishment contemplated as contemplated in clause 33, sub-clause (1), because for violation under Section 11 and Section 26, fine up to ₹ 5 lakhs is provided. Sections 14(6), 14(8), and 15 provide imprisonment up to one year or with fine. For violation of Section 17, imprisonment up to two years or fine with ₹ 2 lakhs and further more has been provided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the harm?

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, there is no punishment as contemplated in Section 33 because it is punishable with imprisonment only. There is no such punishment for any of the offences. For violation of sections 11 and 26, it provides fine. For violation of Sections 14(6), 14 (8) and 15, it provides imprisonment up to one year or with fine. For violation of section 17, it provides imprisonment for two years or with fine. So, my humble submission is, there is no punishment, contemplating imprisonment only.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, there should be no fine. That is your point.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: All offences are compoundable because of Section 33. That is not good. So, my reading of Section 33 is, all the offences are compoundable.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri V.P. Singh Badnore.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: One minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. He did not complete. He didn't finish.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: All offences are, now as per Section 33, compoundable. That is not good. Another point is, as per the proviso, "Provided that the sum so specified shall not in any case exceed the maximum amount of fine which may be imposed under section 29 for the offence so compounded; and any second or subsequent offence committed after the expiry of three years from the date on which the offence was previously compounded shall be deemed to be an offence committed for the first time." Definitely it is against the public interest. .... *(Interruptions)* ....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right. So, you have made your point. .... *(Interruptions)* ....

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: So, it should be amended suitably.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is the problem when you have a former Advocate-General here. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: It is only in favour of the manufacturers, not in favour of consumers. Please amend it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Mr. V.P. Singh Badnore. What is your point?

SHRI V.P. SINGH BADNORE (Rajasthan): Sir, I have a very simple clarification to ask. I also support the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are some people who read the Bill.

SHRI V.P. SINGH BADNORE: Sir, as I was saying, the Bureau of Indian Standards should not be the minimum levels. If we want to really make our product international, the 'Make in India' should be like the Japanese, and I will give you an example for it. Minolta and the other cameras and all that are made in so many places. But everybody looks that if it is made in Japan, then they will buy it, not the ones which are made in Thailand, Cambodia and anywhere else. They are made in ten places.

They are made at ten places. So, my question is: Is it the minimum standard? Because, unless you have higher standards, you will not be able to achieve the 'Make-in-India' that the Prime Minister really wants. I would give you just one example. When Sony came into the market, they got a big order. He has written in his biography that he got a big order from the US for his radio. In those days, it was the radio. He got a big order from the US, I but the only thing that they said was that he must change the name from Sony to something else. It was a big dilemma for him, whether to give up the order or to keep it. He said, 'No. I will only sell it as Sony and not any other brand as you want it. And I will not stamp on anything else.' That is the standards we are talking about. It should not be minimum; it is higher standards that we want.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri Jairam Ramesh.

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, my question to the hon. Minister is very simple and straight-forward.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Good that it is not to me!

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Bill provides for the BIS to recognize foreign and other Indian entities as standardizing authorities. I want to know from the hon. Minister whether the rules, regulations and the protocol that will govern this recognition will be part of the rules? That is because you are not just creating one BIS; you are also giving BIS the power to recognize other bodies as standardizing authorities. So, will the conditions under which those recognitions take place be there in the rules or not?

**7.00 PM**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Rangasayee Ramakrishna. That is the last.

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA (Karnataka): Sir, I have a basic question on which I need a clarification. The timing of introduction of a legislation is as important as the content of the legislation. Now, we are paused at a time when we want to increase the domestic demand and, in the international scenario, our exports are falling month after month. Now, we are bringing in an Act which introduces a certain element of compulsion. Will it conform to these requirements or will it run counter to these requirements? This is what I want to know.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the hon. Minister.

**श्री रामविलास पासवानः** उपसभापति महोदय, जिन सदस्यों ने इस पर अपने सुझाव दिए हैं, मैं उन सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस पर अभी करीब 13 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव रखे हैं। तरुण विजय जी, नाच्चीयप्पन जी, नरेश अग्रवाल जी, डा. आर. लक्ष्मणन जी, मुनक़ाद अली जी, टी.के. रंगाराजन जी, भूपिंदर जी, अनिल देसाई जी, विवेक गुप्ता जी, नवनीतकृष्णन जी, वी.पी. सिंह बदनौर जी, जयराम रमेश जी और रंगासायी रामाकृष्णा जी ने अपने सुझाव रखे।

महोदय, जो चीज़ हमारे मन में थी और है, उसको हम किसी कारण से इसमें नहीं डाल सकते हैं। उस बात को भी यहां पर रखा गया है। चूंकि एक कहावत है कि क्रिकेट के मैदान में रन भी बनाना पड़ता है और विकेट भी बचाना पड़ता है, इसलिए दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। चूंकि हम कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, इसलिए हमारी जो होल एण्ड सोल रिस्पांसिबिलिटी है, वह है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखना। यह जो BIS बिल है, उसका एक हिस्सा है। अभी हम कंज्यूमर प्रॉटेक्शन बिल लाएंगे, जो स्टैंडिंग कमिटी के पास है। जब हम उस बिल को यहां लाएंगे, तो उसमें आपको पूरा का पूरा चित्रण दिखलाई पड़ेगा। जैसे हमारे बहुत से सदस्यों ने misleading advertisement की बात कही। यहां पर misleading advertisement नहीं है कि कैसे आप तीन महीने में वजन को बढ़ा लेंगे, कैसे यह कर लेंगे, कैसे वह कर लेंगे। हर चीज लिखी रहती है। ये सारी चीजें इसमें कवर्ड नहीं हैं, लेकिन उसमें कवर्ड हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई खराब वस्तु है और आपने उसकी क्वॉलिटी की बात कही है, तो वह अथॉरिटी इस बिल में है। जैसे पानी की एक बोतल खराब है, तो अभी केवल एक ही आदमी को उसका लाभ मिल सकता है या कार का इंजन खराब है तो एक ही व्यक्ति को उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन इसमें हमने यह प्रावधान रखा है कि अगर एक कार का इंजन खराब है तो केवल उसी कार का इंजन खराब नहीं होगा, बल्कि उस लॉट में जितनी कारें होंगी, उन सबका इंजन खराब होगा। अगर बोतल का पानी खराब है, तो केवल एक बोतल का ही पानी खराब नहीं होगा, बल्कि सारी की सारी बोतलों का पानी खराब होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में हैं। आप देखेंगे कि किसी चीज़ पर एक्सपायरी डेट लिखी नहीं होगी, बल्कि कहीं किसी कोने में यह लिखा मिलेगा कि यह छः महीने के भीतर पीने या खाने योग्य है। इसलिए मैंने कहा कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जिनसे कंज्यूमर्स को लाभ मिल सकता है।

इसी प्रकार, कन्ज्यूमर का मामला है, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो। पहले उसमें वकील रखने की बात थी, हमने कहा कि वकील रखने की जरूरत नहीं है। पहले यह था कि जहां से आप सामान खरीदते हैं, वहीं जाकर आप कम्प्लेंट दर्ज कीजिए, लेकिन अब हमने कहा है कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से भी कम्प्लेंट दर्ज कर सकते हैं। पहले 20 लाख रुपये तक था, अब एक करोड़ रुपये तक डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है और उससे ऊपर स्टेट कमीशन में 10 करोड़ रुपये तक का जाएगा। उसमें हमने मीडिएशन की व्यवस्था भी रखी है। ये सारी चीज़ें हैं, जिनको हम उस बिल में लाएंगे, लेकिन अभी का मामला ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड (बीआईएस) से संबंधित है।

अभी हमारे साथियों ने खाने के सामान में मिलावट की बात कही। इस देश में जो मजदूर या चपरासी है, उससे लेकर राष्ट्रपति तक सभी कंज्यूमर्स हैं और सभी को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारा अलग-अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे खाने का मामला है और उसमें आप ऐडल्टरेशन के बारे में कह रहे हैं। आज खाना ही नहीं, बल्कि हर चीज़ में ऐडल्टरेशन है। आप विदेश में चले जाइए, वहां ऐडल्टरेशन के बारे में कोई जानता भी नहीं है। वहां के लोग यह जानते ही नहीं है कि खाने में मिलावट भी होती है। अभी हमारे एक साथी ने सऊदी अरब का उदाहरण दिया तथा अन्य किसी ने एक दूसरी कंट्री का उदाहरण दिया। वहां कोई सोचता भी नहीं है कि मिलावट हो सकती है और हमारे यहां कोई यह सोच भी नहीं सकता कि बिना मिलावट के कोई चीज़ मिलती है। यह सही बात है। आपने ठीक कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत से साथियों ने उदाहरण के साथ बतलाया कि आपके पास इतने कम कर्मचारी हैं कि उनसे क्या होगा। यह सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और हमारे पास सीमित साधन हैं, लेकिन हम सब चीज़ों में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। जहां तक खाने का मामला है, तो उसे एफएसएसएआई देख रही है। वहां अथॉरिटी है। उसी तरह से, स्टील की भी अथॉरिटी है। उनके प्रॉडक्ट्स के लिए उनके अपने स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। हर चीज़ का अपना अलग-अलग स्टैंडर्ड बना हुआ है। जहां तक हमारे बीआईएस की बात है, इसमें हमने केवल इतना ही कहा है कि देश के बाहर आईएस, यानी इंडियन स्टैंडर्ड को लोग जानते हैं, हालांकि ऐक्ट में वह अभी नहीं है। हम ऐक्ट इसलिए बनाने जा रहे हैं ताकि इंडियन स्टैंडर्ड ऐक्ट के अंतर्गत हम सारे के सारे प्रॉडक्ट्स को एक अंब्रेला के तहत कवर कर सकें। एफएसएसएआई रहेगी और अपने सामान की जांच भी वही करेगी। इसी तरह, अपने सामान की जांच स्टील अथॉरिटी ही करेगी और इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ही अपने सामान की जांच करेगी। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने कहा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन भी करो, हम बीआईएस का स्टैंडर्ड देते हैं। हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर कोई कंपनी या व्यक्ति आकर कहता है कि हमारा स्टैंडर्ड आपके स्टैंडर्ड के अनुकूल है, तो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक हम यह नहीं करेंगे कि उसके यहां तुरंत पुलिस को इंस्पेक्शन करने के लिए भेज देंगे, जिससे फिर से इंस्पेक्टर राज आ जाए। हमने कहा कि हम इस बात को मानकर चलते हैं कि आपने जो स्टैंडर्ड दिया है और आपने जो लिखा है, वह सही है, लेकिन अगर आपके खिलाफ कम्प्लेंट आएगी, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

[श्री रामविलास पासवान]

आपने इम्पोर्टेड सामान के बारे में कहा है। इम्पोर्टेड सामान के लिए भी हमने यही कहा है। हमने कहा है कि इम्पोर्टेड सामान आएगा, लेकिन हम हर किसी को उसके लिए अलाऊ नहीं करेंगे, बल्कि उसको बीआईएस का स्टेंडर्ड लेना पड़ेगा। इसी प्रकार जो सामान बाहर जाएगा, उसको भी बीआईएस के स्टैंडर्ड के अनुसार होना पड़ेगा। आपने चीन का उदाहरण दिया है। यह सही है कि डंपिंग हो रही है, गणेशजी की मूर्ति आ रही है, दीया आ रहा है और अन्य सामान आ रहे हैं। हमारा सामान है, जब हम "मेक इन इंडिया" कहते हैं, "मेड इन इंडिया" कहते हैं, हमारे यहां किसी चीज की कमी नहीं है। आप चले जाइए, लोग लंदन जाते हैं, तो Marks and Spencer में जरूर जाते होंगे और Marks and Spencer की शर्ट आप देखिए, गंजी देखिए, उस पर "मेड इन इंडिया" लिखा होगा। जब हम "मेड इन इंडिया" देखते हैं, तो कहते हैं कि इसको नहीं लेंगे, लोग उसको छोड़ देते हैं। वहां पर बढ़िया से बढ़िया सामान है, लेकिन उसको नहीं खरीदते हैं। हमारी जो बाहर मार्केटिंग है, उसमें हमारा नाम बदनाम हो गया है, जैसे हमारे यहां से चावल जाता है, वह रिजेक्ट होकर आ जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आईएसआई हमारा इंटरनेशनल ब्रांड हो। मैं इस बारे में अपने सभी साथियों से सहमत हूं। अभी जयराम रमेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही। हमारे साथी अनिल देसाई जी ने बताया, हमने सभी साथियों के प्वाइंट्स को नोट कर लिया है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। श्री तरुण विजय जी ने कहा कि "मेड इन इंडिया" हो, तो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानक सही हो, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे नाच्चीयप्पन साहब ने कहा कि हम इतना vast law बनाने जा रहे हैं और इसका क्रियान्वयन हम कैसे करेंगे। हमने कहा है कि हम बाहर से भी expertise को लेंगे। एक कहावत है, जिसे हम बचपन में पढ़ते थे कि हमारे मन की मधुमक्खियां संसार के सभी उद्यानों में जाएंगी, लेकिन अपनी ही रीति से मधु का कोष तैयार करेंगी। हम सबकी चीज़ लेंगे, लेकिन स्टैंडड्र्स हम अपने तरीके से बनाने का काम करेंगे। हमारे साथी नाच्चीयप्पन जी ने कहा है कि सर्टिफिकेशन में डिले होता है और आपने कहा कि 8,000 केस लाइन में लगे हुए हैं। हम इस बात को देखेंगे। जो हमारे अंडर की बात है, उसको हम तुरंत देख लेंगे। बाकी जो सुझाव आपने दिए हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे। हमने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं। हमने इसको वेबसाइट पर डाल रखा था, हमारी जो Consultative Committee है, उसमें हमने इस बात को कई बार डिस्कस किया और हमने सब लोगों से सुझाव देने को कहा। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। हम इसके विक्टिम हैं। हम एम. पी. थे और हमने अपनी मां को बढ़िया से बढ़िया सोना खरीद कर दिया। हमें दो साल के बाद पता चला कि वह सोना तो नकली है। बाजार में 22 कैरेट का, 23 कैरेट का सोना है और 9 कैरेट का भी सोना है। अब 9 कैरेट सोने का दाम 22 कैरेट सोने के हिसाब से लिया जाता है, तो इसको गरीब लोग थोड़े ही जानते हैं। आप और हम लोगों में से इस बात को कौन जानता है। हमने पूछा कि क्या है, तो बताया गया कि अभी hallmarking mandatory नहीं है। इसलिए हमने उसमें hallmarking mandatory करने का प्रावधान रखा है। सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। जो नेशनल इंटरेस्ट में है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो हैल्थ इंटरेस्ट में है, उसको हम जब चाहे तब mandatory कर सकते हैं। हमने बताया कि जब हमने मां को सोना खरीद कर दिया, तो हमको पता चला कि यह नकली है। हमने पूछा, तो हमें पता चला कि उसमें कैरेट लिखा हुआ नहीं है,

उसमें नम्बर लिखा हुआ रहता है, 916 और कोई नम्बर, अब भला किसके पास में वह नम्बर है, जो उसे जाकर रखेगा। हमने कहा कि बगल में 9 कैरेट लिखो, हर दुकान पर magnifying glass रखो, हर दुकान पर शीट लिखकर रखो। जो आपने सजा के संबंध में कहा है, हमारे साथी सजा के बारे में धारा 29 और 33 के संबंध में कह रहे थे, वह पहली बार का है। जिसको कोर्ट से जेल की सजा मिलेगी, वह उसके लिए नहीं है। जिसको फाइन होगा, उसके बारे में धारा 29 में अलग-अलग लिखा गया है, hallmarking के लिए अलग लिखा गया है, यदि कोई certification को डुप्लीकेट करता है, उसके लिए अलग है, अगर कोई injurious to health हो, तो उसके लिए अलग है। इसलिए उसको compounding किया गया है कि कोर्ट में मामला बहुत दिन तक लटका रहता है, तो कम से कम फाइन देकर के, मैक्सिमम देकर के जो छोटा-मोटा केस है, उसको कम से कम ठीक कर लिया जाए।

श्री नरेश अग्रवाल जी ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डुप्लीकेट चीजों पर लगने से कैसे रोकेंगे, हमने इसके लिए बहुत कड़ा से कड़ा कानून रखा है। हमारे पास सब सामान मेंडेटरी नहीं है। यह गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि हम जिसको चाहें पकड़ लेंगे। जिस सामान में हमारा मेंडेटरी रहता है, जिसके ऊपर ISI का मार्क होता है, यदि वह खराब सामान बेचता है और यह मालूम होता है कि उसने ISI का दुरुपयोग किया है या जाली है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पहले भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन उससे भी ज्यादा कड़ा प्रावधान हमने इसमें रखा है। इसके बाद डा. लक्ष्मणन ने भी यही कहा और एक बात अच्छी कही है कि Online purchase का मामला है, ई-कॉमर्स का मामला है, हम जो नया बिल ला रहे हैं, उसमें हम ई-कॉमर्स को डील कर रहे हैं। चूंकि ये सभी बिल 1986 के हैं और आज हम 2016 में हैं। 30 साल के बाद यह बिल आ रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि के.बी. थॉमस जी हमारे मंत्री हैं, उन्होंने दूसरे सदन में इनिशिएट किया था। हमने उनको भी उस दिन धन्यवाद दिया था और आज आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, नेशनल इनटरेस्ट सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर राष्ट्र हित होता है, उसके बाद पार्टी का हित होता है तथा सबसे नीचे व्यक्ति का हित होता है, नेशनल इनटरेस्ट में जो भी चीज हो, इधर-उधर देखकर नहीं करते रहना चाहिए। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह नेशनल इनटरेस्ट में है और सुई से लेकर अंतरिक्ष यान तक में मानक की आवश्यकता होती है, स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है और उसके बाद जो भी आपका सजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, लेबोरेटरी से लेकर, सर्टिफिकेशन से लेकर और ठीक से मानक लागू हों, इन सारी चीजों का हम आश्वासन देना चाहते हैं कि जो हमारे रूल्स बनेंगे, उनमें हम सारी चीजों को रखेंगे। कुछ बातें मेम्बर्स के बारे में हैं, जो नहीं उठाई हैं, लेकिन कितने मेम्बर्स होंगे, कैसे होंगे, हम इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं। हमारी आप सबसे अपील है कि जो भी आपके और भी सजेशंस हों - चूंकि अभी ज्यादा समय नहीं मिला है, जो भी सजेशन हो, आप बताएं, जो भी संभव होगा, हम रूल्स में देखने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से सर्वसम्मति से इस बिल को पास करने और अपना सहयोग देने का काम किया है, हम उसे हमेशा याद रखेंगे और जो भी हमसे बन पाएगा, हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Minister. The question is:

[MR. Deputy Chairman]

"That the Bill to provide for the establishment of a national standards body for the harmonious development of the activities of standardization, conformity assessment and quality assurance of goods, articles, processes, systems and services and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In clause 2, there are two amendments. First is Amendment (No. 3) by Shri Vivek Gupta. Are you moving the amendment, Mr. Gupta?

SHRI VIVEK GUPTA: No, Sir. I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Not moving. Now, there is Amendment (No. 5) by Shri Husain Dalwai. Are you moving the amendment, Mr. Dalwai?

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir I am moving the amendment. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are moving the amendment. ...*(Interruptions)*...

**श्री रामविलास पासवानः** सर, हुसैन दलवई जी, हमारे पुराने मित्र हैं। आप बिल को तो इस तरह आने दीजिए। जो आपका कहना है, हम उसको देख लेंगे।

**श्री हुसैन दलवईः** मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि मैंने ९ अमेंडमेंट्स दिए हैं अगर वे रूल्स में आ सकते हैं, तो मैं अपने अमेंडमेंट्स वापस लेने के लिए तैयार हूं।

**श्री रामविलास पासवानः** हमने कहा है कि जितने भी माननीय सदस्यों के सुझाव आए हैं, हमने पहले ही एक लाइन में कहा है कि हमारी भी लिमिटेशन्स हैं। सरकार में आप सब मंत्री रह चुके हैं, रूल्स में जितना भी संभव होगा, हम उसको देख लेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right. So, Mr. Husain Dalwai did not move the amendment as the Minister has given some assurance. ...*(Interruptions)*... No, no. It is okay. So, amendments not moved. I shall now put clause 2 to vote.

*Clause 2 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 3, there is one Amendment by Shri Husain Dalwai. Are you moving?

SHRI HUSAIN DALWAI: No. He has promised that all my amendments he will be considering ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right, Amendment not moved. I shall now put clause 3 to vote.

*Clause 3 was added to the Bill.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 5, there is one Amendment by Shri Husain Dalwai. Are you moving?

SHRI HUSAIN DALWAI: Not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment not moved. I shall now put clause 5 to vote.

*Clause 5 was added to the Bill.*

*Clauses 6 to 12 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 13, there is one Amendment by Shri Husain Dalwai. Are you moving?

SHRI HUSAIN DALWAI: Not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you for not moving. I shall now put clause 13 to vote.

*Clause 13 was added to the Bill.*

*Clauses 14 to 26 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 27, there is one Amendment again by Shri Husain Dalwai. Are you moving?

SHRI HUSAIN DALWAI: Not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you for not moving. I shall now put clause 27 to vote.

*Clause 27 was added to the Bill.*

*Clauses 28 and 29 were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 30, there is one Amendment by Shri Vivek Gupta.

SHRI VIVEK GUPTA: Not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you for not moving. I shall now put clause 30 to vote.

*Clause 30 was added to the Bill.*

*Clauses 31 to 43 were added to the Bill.*

**Clause 1 - Short Title, Extent and Commencement**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 1, there is one Amendment (No.2) by Shri Ramvilas Paswan.

SHRI RAMVILAS PASWAN: Sir, I move:

2. That at page 1, line 4, for the figure "2015", the figure "2016" be substituted.

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

**ENACTING FORMULA**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, in the Enacting Formula, there is one Amendment (No. 1) by Shri Ramvilas Paswan.

SHRI RAMVILAS PASWAN: Sir, I move:

1. That at page 1, line 1, for the word "Sixty-sixth", the word "Sixty-seventh" be substituted.

*The question was put and the motion was adopted.*

*The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

**The Title was added to the Bill.**

SHRI RAMVILAS PASWAN: Sir, I beg to move:

That the Bill, as amended, be passed.

*The question was put and the motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Special Mentions.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, one more Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One more Bill tomorrow. One more Bill, we will take up tomorrow, not today.

---

**SPECIAL MENTIONS***

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Mansukh L. Mandaviya. Mention the subject and lay on the Table.

*Laid on the Table.